बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधि०सू०सं0–निग / सारा–4(पथ)–आरोप–20 / 2019 पटना, दिनांक :– 25/3/19

कार्यालय आदेश – 82

पथ प्रमंडल, मधेपुरा अन्तर्गत OPRMC Package संख्या–27 के तहत सुपौल–सिंघेश्वर पथ में कराये गये SDBC Gr-II कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़दस्ता प्रमंडल संख्या–04 द्वारा दिनांक–21.01.2015 को की गयी तत्पश्चात् निदेशक, प्रशिक्षण परीक्षण एवं शोध संस्थान के पत्रांक–66 दिनांक–12.02.2015 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोंपरांत कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा टॉलरेन्स लिमिट (4.19%) से भी कम 3.84% पाये जाने संबंधी त्रुटि के लिए विभागीय पत्रांक–3054(S) दिनांक–16.04.2018, पत्रांक–3475(S) दिनांक–11.05.2018 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। तदालोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रतिः कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, वाह्य कार्य प्रमंडल संख्या–2, किशनगंज द्वारा स्पष्टीकरण उत्तर पत्रांक–शून्य दिनांक–18.05.2018 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया।

2. श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में जिन व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत कर उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उस पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा रहा है, वस्तुतः उन्ही व्यवहारिक कठिनाईयों / परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए विभाग द्वारा सड़क निर्माण कार्य के प्रत्येक मदो में Tolerance Limit अनुमान्य किया गया है, जबकि प्रश्नगत मामले में SDBC कार्य में अलकतरा की औसत मात्रा 5% प्रावधान के विरूद्ध Tolerance Limit (4.19%) से भी कम अर्थात 3.84% पाया गया, जिसके फलस्वरूप श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गई समीक्षा के क्रम में श्री कुमार द्वारा दिनांक–18.05.2018 के समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोंपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के उपनियम–v के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) **"तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचायात्मक प्रभाव से रोक"।**

ह० / –
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

107

ज्ञापांक :–

पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा/वरीय परियोजना पदाधिकारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, वाह्य कार्य प्रमंडल संख्या–2, किशनगंज /उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, वाह्य कार्य प्रमंडल संख्या–2, किशनगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2339(E)

पटना, दिनांक :– 25/3/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

20/3/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

19/03/19